

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का रिपपुरी बनाम शंजराभ ६१०

प्रकरण अर्न्तगत धारा ९१एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- ६५/१८

निर्णय दिनांक :- २८/२/१८

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण राक्षस में इस प्रकार है कि ग्राम गौकुम्भखर की आ.ख.न. १५२९ कुल रकबा ०.२० किस्म जमीन गौकुम्भखर में से रकबा पर श्री दख्खनी डाल विधारी जाख ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर विण्डा कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का रिपपुरी द्वारा दिनांक १४/२/१८ को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मध्य तारिख भू.अ.निरी. रिपपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी दख्खनी डाल विधारी जाख निवासी रिपपुरी को राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी पानचूट लगील उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकबा आ.ख.न. १५२९ रकबा ०.२० में से ०.०१ रकबा किस्म गौकुम्भखर है। नियमन में प्राव नहीं है लिहाजा गौकुम्भखर में अतिक्रमण रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश किये जाते हैं एवं वण्ड स्वल्प तन्मान २१५५६ का ५० गुणा १५१२ रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी रिपपुरी भू.अ.निरी. रिपपुरी को लिखा जाकर बाद तकनीक कार्रवाई दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**तहसीलदार कठूमर (अलवर)**  
 तहसीलदार  
 कठूमर अलवर (राज.)